विवरणिका

PROSPECTUS

2025–26

ESTD. 1973

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्व0 सं0 से0
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा
(उत्तराखण्ड)

सम्बद्ध–
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

स्थापना वर्ष– 1973

Website: www.gpgcr.ac.in
Email: gpgcranikhet1973@gmail.com

महाविद्यालय गीत

ये महाविद्यालय मेरा यह ज्ञान की पहचान है,
इसके अतीत में छिपा गौरवमयी सम्मान है।
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

ये सिखाता है हमें सबका करें सम्मान हम,
ये पढ़ाता है हमें सत्यम् शिवम् और सुन्दरम्,
ये दिखाता है हमें जीवन के नित नव रास्ते,
ये कराता है हमें संस्कारों की पहचान,
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

लहराती हरियाली है, गिरिराज हिमालय शान है,
बुरांश पुष्पों पर यहां, भँवरों का गुन्जित गान है,
युवा शक्ति के लिए नित ज्ञान का आह्वान है,
जीवन के नैतिक मूल्यों का होता यहॉ निर्माण है,
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

आइये शिक्षार्थ सब जन, जाइये सेवार्थ सब
ज्ञान सीखे, ज्ञान बांटे, ज्ञान से सब कुछ सुलभ,
देश उन्नत होगा तब, जब होंगे शिक्षित हम सभी,
शिक्षा का धन जिसको हासिल, बस वही धनवान है।
रानीखेत महाविद्यालय, रानीखेत महाविद्यालय।।
ये महाविद्यालय.....

Vision

Creating and nurturing a learning community where excellence and capacity building is expected of every student.

Mission

The college provides an environment conducive to intellectual curiosity and innovation through igniting the spark so as to Shine and Lead. We guide and motivate Human Resources towards perfection and serve as an educational leader; contributing its resources to the intellectual, cultural, physical and economic vitality of the region in order to ensure inclusive growth of all the stakeholders.

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत : एक परिचय

उत्तराखण्ड की अति सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसी हुई रानीखेत नगरी के पश्चिम छोर चिलियानौला की पावन भूमि पर अवस्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत की स्थापना वर्ष 1973 में हुई। रानीखेत वर्तमान में कुमाऊँ रेजिमेंट (के0 आर0 सी0) और नागा रेजिमेंट का छावनी परिषद केंद्र है। स्थापना वर्ष से निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर होकर तथा अथक प्रयासों से यह महाविद्यालय छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग दर्शक तथा पथ प्रदर्शक बना हुआ है।

वर्तमान में इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य विज्ञान व बी0 एड0 (स्ववित्तपोषित) चार संकाय हैं। कला संकाय में स्नातक स्तर पर राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र, संगीत तथा गृह विज्ञान विषय संचालित है। संस्कृत तथा गृह विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषयों में स्नात्तकोत्तर कक्षायें संचालित हैं। विज्ञान–संकाय में रसायन, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी व गणित हैं तथा सभी विषयों में स्नातक के साथ स्नातकोत्तर भी हैं। सभी संकायों में सेमेस्टर पद्वति लागू की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे योगा आदि भी संचालित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य किये जा रहे है। वर्तमान में तीनों संकाय (कला, विज्ञान तथा वाणिज्य) में शोधार्थी पीएच0 डी0 हेतु पंजीकृत है। महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय और शैक्षिक अध्ययन केंद्र भी है।

महाविद्यालय का शुभारम्भ 1973 में स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं संगीत विषयों के साथ हुआ। वर्ष 1977 में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, अर्थशास्त्र एवं इतिहास की कक्षाएं आरम्भ की गई। तत्पश्चात 1979 में स्नातक स्तर पर भूगोल एवं स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति शास्त्र एवं इतिहास की कक्षाएं आरम्भ की गई। विज्ञान संकाय का शुभारम्भ 1982–83 में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान विषयों के साथ किया गया। सत्र 2001–2002 से बी0 कॉम0 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय की कक्षायें प्रारम्भ की गई। रसायन शास्त्र में एम0 एस0 सी0 2002–2003 से प्रारम्भ की गई। सत्र 2006–07 में गणित एवं भौतिकी में एम0 एस0 सी0 की कक्षायें प्रारम्भ हुई। शिक्षा विषय को व्यवसायपरक बनाने के उद्देश्य से सत्र 2008–09 में स्ववित्त पोषित बी0 एड0 पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। सत्र 2011–12 से स्नातकोत्तर स्तर पर तथा 2016–17 से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई। वर्तमान सत्र से छात्रों के सर्वांगीण विकास तथा गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रदान करने हेतु नीति निर्माताओं के उद्देश्य के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 को महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर अपनाया गया है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस महाविद्यालय को अल्मोड़ा जिले के एक विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। विशिष्ट महाविद्यालय योजनान्तर्गत यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा का एक आदर्श केन्द्र बनने की ओर अग्रसर है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा के साथ–साथ वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप महाविद्यालय में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वि0वि0 अनुदान आयोग की

मूल्यांकन संस्था NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) के द्वारा इस महाविद्यालय को 'B+' श्रेणी प्रदान की गई है।

महाविद्यालय का अपना स्थाई भवन है। जिसमें प्रशासनिक भवन, कला संकाय भवन, विज्ञान संकाय भवन, पुस्तकालय भवन तथा सभागार सम्मिलित है। महाविद्यालय परिसर में एक छात्रावास भवन है जिसमें साठ छात्रों के रहने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आर्थिक सहायता से 65 छात्राओं हेतु महिला छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

महाविद्यालय परिसर में अनेक अकादमिक क्रिया–कलाप तथा स्वस्थ चलनों के माध्यम से छात्र विकास तथा सहायता सुनिश्चित की जाती है जो निम्नवत है–

1. **अध्यापन एवं शोध–** यह महाविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपक्रम है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अत्याधुनिक तकनीकों तथा नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं पर बल दिया गया है। महाविद्यालय में अनेक शोधार्थी विभिन्न प्राध्यापकों के निर्देशन में शोधरत है। अनेक प्राध्यापकों के विषयगत शोध पत्र विभिन्न विषयों में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हुये हैं। इसके अतिरिक्त, फैकल्टी सदस्यों द्वारा सेमिनार, सिम्पोजियम तथा कार्यशाला के साथ–साथ अभिविन्यास और पुनश्चर्या कार्यक्रमों में प्रतिभाग, अध्यापन एवं शोध के बुनियादी आधार को सुदृढ़ करता है। साथ ही समय–समय पर सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा आमन्त्रित विषय–विशेषज्ञों के व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है।
2. **कैरियर काउन्सलिंग एण्ड प्लेसमेण्ट सेल–** इसमें छात्रों के कैरियर के विषय में चयन, तैयारी और नियोजन सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है जिसका उद्देश्य अनिश्चितता तथा भावनात्मक तनावों का निवारण करना है, ताकि वे सुदृढ़ तथा सशक्त होकर सही निर्णय ले सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों एवं व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में यहां व्याख्यानों, कार्यषालाओं और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही विभिन्न निजी और सरकारी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं।
3. **अनुसूचित जाति उपयोजना–** अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का संचालन किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, सेट, तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करायी जाती है।
4. **पुस्तकालय–** महाविद्यालय के पुस्तकालय से स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को 04 पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विभागीय स्तर पर पुस्तक की उपलब्धता के आधार पर पुस्तकें निर्गत की जाती है।

   अ. पुस्तकें सामान्यतः दो माह के लिये निर्गत की जाती हैं। विद्यार्थी एक माह पश्चात पुस्तकें बदल सकते हैं।

   ब. विद्यार्थियों को महाविद्यालय पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) के साथ जमा करनी आवश्यक है बिना पुस्तकें जमा किये अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) निर्गत नहीं किया जाता है।

स. पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिये विद्यार्थियों को स्वयं उपस्थित होना है, बिना परिचय पत्र के पुस्तके निर्गत नहीं की जायेंगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तकें निर्गत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की जायेगी। विद्यार्थी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर ही पुस्तक ले सकेगा। समय सारिणी समय–समय पर सूचना पट पर चस्पा कर दी जायेगी।

द. शोधार्थी शोध निर्देशक की संस्तुति पर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं।

5. **वाचनालय–** महाविद्यालय में छात्रों एवं छात्राओं के लिये वाचनालय की व्यवस्था है, जिसमें हिन्दी व अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकायें मंगाई जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने खाली वादनों में वाचनालय में बैठकर इन पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर समय का सदुपयोग करें।

6. **प्रसार व्याख्यान–** इन व्याख्यानों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि करना एवं ज्ञान के प्रति अभिरुचि एवं उत्सुकता जागृत करना है। विभिन्न सामाजिक एवं लोकप्रिय विषयों में विद्वान एवं उत्सुक वक्ता प्रसार व्याख्यानों में सारगर्भित भाषणों का ज्ञान वर्धन करते हैं।

7. **एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय कैडेट कोर)–** छात्र/छात्राऐं स्नातक स्तर पर एन0सी0सी0 में प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में एन0 सी0 सी0 की दो इकाईयाँ– 24 यू0 के0 गर्ल्स बटालियन, अल्मोड़ा तथा 79 यू0 के0 बटालियन, नैनीताल कार्यरत है जिनके संयोजक क्रमशः ले0 डॉ0 रूपा आर्या तथा ले0 डॉ0 शंकर कुमार एन.सी.सी. अधिकारी के रुप में कार्यरत हैं।

8. **राष्ट्रीय सेवा योजना–** स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षणेत्तर कार्यकलापों द्वारा समाज की सेवा करना है। वर्तमान में इसकी 03 इकाईयां कार्यरत है। प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित 100 छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर कुल 300 छात्र/छात्राओं का एन0एस0एस0 में पंजीकरण किया जाता है। स्नातक स्तर पर प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राएं ही इसमें प्रवेश ले सकते हैं। एन0एस0एस0 के बी0 व सी0 प्रमाण पत्रों के आधार पर बी0एड0 आदि विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यथियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाता है। एन0एस0एस के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रायें ही बी0 प्रमाण–पत्र परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह होते हैं।

नोट–उक्त दो योजनाओं में से छात्र/छात्रा केवल एक योजना में भाग ले सकता/सकती है।

9. **क्रीड़ा एवं खेलकूद–** महाविद्यालय का निजी क्रीडा स्थल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेलों के लिये उपलब्ध है। इन्डोर गेम्स के अन्तर्गत बैडमिन्टन, सेपकटाकरा आदि की व्यवस्था है। अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद द्वारा खेलों के सुचारु रुप से होते रहने के लिए समय–समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा वर्ष में एक बार क्रीड़ा समारोह सम्पन्न किया जाता है।

10. **छात्रवृत्तियां तथा आर्थिक अनुदान– महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 06 प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है–**

1. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट स्नातक स्तर पर श्रेष्ठता के आधार पर नवीनतम रूप में दी जाती है एवं नवीनीकरण भी किया जाता है। यह छात्रवृत्ति स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की श्रेष्ठता एवं इण्टरमीडिएट की मैरिट के आधार पर बी0ए0/बी0एस0सी0/इंजी/ मैडिकल कक्षाओं हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष में रू0

60, 90 120, 120, प्रतिमाह दिवा छात्रों को तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को रू0 100,140,170,170 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत/नवीनीकरण किया जाता है।

2. **असेवित छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा–** छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित नहीं है। यह छात्रवृत्ति स्नातक कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रावासी छात्र/छात्राओं को रू0 100/– प्रतिमाह तथा जहां छात्रावास की सुविधा नहीं है, उन छात्रों को रू0 125/– प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती है।
3. **पर्वतीय क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सामान्य/प्रविधिक शिक्षा में उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति–** छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित नहीं है। यह छात्रवृत्ति तकनीकी व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययन करने वाले छात्रों को जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती है।
4. **शोध छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृत्ति शोध छात्रों को अनुसंधान एवं शोध की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत आवश्यकताओं, प्रयोगशाला उपकरण एवं शोध जर्नल्स/सन्दर्भ ग्रन्थ हेतु स्वीकृत की जाती है।
5. **विकलांग छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृति महाविद्यालय के विकलांग छात्र–छात्राओं को दी जाती है यह छात्रवृति की धनराशि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजी जाती है।
6. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति–** यह छात्रवृत्ति महाविद्यालय के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग के छात्र–छात्राओं को जो शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आते हैं उनको दी जाती है इसकी धनराशि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजी जाती है।

11. **छात्र संघ–** लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान के अधीन प्रत्येक वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं, जिससे छात्रों में सम्प्रेषण कौशल तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता का व्यावहारिक अनुभवपरक सबक प्राप्त होते हैं। छात्र हितों का प्रतिनिधित्व करता छात्रसंघ उनसे सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का निवारण करने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सन्दर्भ में सभी विद्यार्थियों को सचेत किया जाता है कि छात्र संघ निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सामग्री यथा पोस्टर, दिवारों पर लिखना, स्टीकर आदि महाविद्यालय या शहर में नहीं लगाये जायेंगे। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
12. **सांस्कृतिक परिषद–** छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक परिषद का विशेष योगदान होता है। महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसके पदाधिकारी महाविद्यालय के नियमित छात्र–छात्रायें होते हैं। परिषद के तत्वावधान में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
13. **विभागीय परिषदें :** स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। इन परिषदों के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विचार

संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित अन्य पाठ्य विषयों का उपयोगी ज्ञान छात्रों को कराना भी इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य है।

14. **महाविद्यालय पत्रिका–** 'अर्चना' नामक महाविद्यालय पत्रिका का वार्षिक प्रकाशन महाविद्यालय परिवार की नवोदित संवेदनशील प्रतिभाओं को लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु अवसर प्रदान करता है।

15. **अभिभावक शिक्षक संघ–** छात्रों एवं संस्था के उन्नयन में अभिभावकों और शिक्षकों की समान जिम्मेदारी है। इसको ध्यान में रखते हुये, अभिभावक शिक्षक संघ पूरे वर्ष अपने पाल्यों की प्रगति के विषय में शिक्षकों के साथ अभिभावकों के संवाद के मंच के रुप में कार्य करता है। प्रत्येक नये सत्र के आरम्भ में अभिभावकों को आमन्त्रित कर उनको महाविद्यालय की नवीनतम प्रगतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाता है तथा उनके नवीन सुझावों को समुचित महत्व देते हुये यथासम्भव समायोजित किया जाता है।

16. **शास्ता मण्डल–** महाविद्यालय का शास्ता मण्डल परिसर में सामान्य अनुशासन सुनिश्चित करते हुये महाविद्यालय प्रशासन के सलाहकार का कार्य करता है। इसमें मुख्य शास्ता तथा अन्य सदस्य शास्ता होते हैं। अनुशासन मण्डल अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करता है। संस्थागत छात्रों को फोटो पहचान पत्र जारी करता है। साथ ही छात्रों की समस्याओं का निवारण करते हुये जांच उपरान्त प्राचार्य को दण्डनीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भी सुझाव देता है।

17. **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–** इसका गठन संस्थागत छात्राओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने व सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु किया गया है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के विषय में यहाँ सम्पर्क कर सकती हैं।

18. **एण्टी–रैगिंग समिति–** यह समिति सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ छात्रों द्वारा नवागन्तुक छात्रों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो तथा उनका आचरण नवीन छात्रों के साथ एक मार्गदर्शक के रुप में रहे। इस हेतु अभिभावकों एवं छात्रों की ओर से शपथ पत्र की व्यवस्था की गयी है।

19. **कम्प्यूटर प्रयोगशाला–** महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु इण्टरनेट युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध है।

20. **आन्तरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC)–** राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद बैंगलूरु के परिदर्शन के आलोक में, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों में अकादमिक गुणवत्ता तथा तत्सम्बन्धी कौशल के संवर्धन, परिष्करण हेतु महाविद्यालय में उक्त प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्राचार्य की अध्यक्षता में अपनी नियमित त्रैमासिक बैठकों में अध्यापन, शोध तथा विस्तार के प्रबन्धन और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) क्षेत्रीय कार्यालय एवं अध्ययन केन्द्र

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा में उ.मु. विश्वविद्यालय (यूओयू) का अध्ययन केन्द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2010 से संचालित किया जा रहा है। यूओयू की स्थापना अक्टूबर 2005 में उत्तराखण्ड शासन अधिनियम संख्या 23 द्वारा की गयी। इस महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र में वर्तमान में लगभग 1500 विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं। जिनके लिये परामर्श सत्र नियमित रुप से महाविद्यालय में आयोजित किये जाते हैं।

स्ववित्त पोषित बी.एड. पाठ्यक्रम

राजकीय महाविद्यालय रानीखेत को सत्र 2008–09 में स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हुई। एन0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम के शिक्षण का समय 10.00 से 4.00 बजे तक रखा गया है। समस्त छात्र एवं छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है।

सत्र 2015–16 से बी.एड. पाठ्यक्रम को दो वर्ष का कर दिया गया है। साथ ही प्रथम वर्ष हेतु छात्र/छात्राओं के लिये निश्चित सीटों की संख्या 50+5(EWS) निर्धारित की गयी है।

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अन्तर्गत वाद–विवाद, गायन, लघुनाटिका, सेमिनार, निबन्ध, पोस्टर, क्विज प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है।

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय द्वारा विभिन्न क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में निर्गत सूचनाओं में निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाना और कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न न करना विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
3. छात्र/छात्रायें अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रभारी अथवा छात्र/छात्रा अधिष्ठाता से सम्पर्क करेंगे। किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रायें सीधे प्राचार्य से नहीं मिल पायेंगे।
4. महाविद्यालय संचालन हेतु समय–समय पर जारी सूचनाएँ सूचना पट पर लगा दी जाती हैं। छात्र–छात्रायें प्रतिदिन सूचना पट पर लगायी गयी जानकारी पर ध्यान दें।
5. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहते हुये निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
   - **5.1.** महाविद्यालय परिसर, चहारदिवारी तथा कक्षा में किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर लगाना वर्जित है।
   - **5.2.** विद्यार्थियों द्वारा अपने पास अग्नेयास्त्रों को लेकर महाविद्यालय परिसर में घूमना अपराध होगा, जिसकी तुरन्त प्राथमिक सूचना दर्ज करायी जायेगी।
   - **5.3.** विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान करना, महाविद्यालय भवन के किसी हिस्से में पीक थूकना वर्जित है।
   - **5.4.** महाविद्यालय की सम्पत्ति विद्यार्थियों की अपनी सम्पत्ति है। फर्नीचर आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व होगा।
   - **5.5.** महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरुक रहेंगे।
   - **5.6.** महाविद्यालय के मुख्य द्वार के आस–पास तथा महाविद्यालय परिसर में वाहन खड़ा करना दण्डनीय अपराध होगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे।
   - **5.7.** महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन वर्जित है।
   - **5.8.** उत्तराखण्ड शासन एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अतः छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस कोड का पूर्णतया पालन करना अनिवार्य है, वे महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रैस में ही परिसर में प्रवेश करें, अन्यथा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार (दिनांक 22 सितम्बर 2006) छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिये आचार संहिता/निर्देश

1. कोई भी प्रत्याशी प्रसन्न करने, अवप्रेरण करने और अन्य कोई ऐसी गति–विधि नही करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो, अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों, धर्मो अथवा भाषाई अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद होता है।
2. जब अन्य प्रत्याशियों की आलोचना होती है तो केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यो तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से दूर रहेंगे, जो लोक कार्य कलापों से सम्बन्धित नहीं हैं। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के अप्रमाणित आरोप अथवा मिथ्या वर्णन से प्रत्याशी दूर रहेंगे।
3. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा।
4. सभी प्रत्याशियों का भ्रष्टाचार का उपयोग और अपराधों से सम्बन्धित सभी गतिविधियां मतदाताओं को प्रसन्न करने अथवा अवप्रेरण करने, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को आतंकित करना, मतदान प्रचार के लिए छदम वेश बनाना अथवा मतदान केन्द्र से 100 मीटर के अन्दर प्रचार करना और मतदान की अन्तिम अवधि 24 घण्टे के अन्दर प्रचार करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र से और मतदान केन्द्र तक यातायात से ले जाना तथा लाना प्रतिषिद्ध होगा।
5. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इश्तहार, मुद्रित पैम्पलेट (पुस्तिका) अथवा कोई अन्य सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी, प्रचार के लिये प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये ऐसे इश्तहार का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।
6. किसी भी प्रत्याशी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के अन्दर तथा बाहर जलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने अथवा अधिप्रचार की अनुमति नहीं होगी।
7. बिना महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी को और उनके समर्थकों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिये विरुपित अथवा किसी भी प्रकार से ध्वंस नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रुप से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को विरुपित/विध्वंस करने के लिये दायित्वाधीन होंगे।
8. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जलूसों और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु यह कि इस प्रकार के जलूसों और जनसभाओं से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के किसी भी प्रकार से कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य–कलापों में व्यवधान नहीं होना चाहिए। यह भी कि यह जलूस/जनसभा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं हो सकती।
9. प्रचार के उद्देश्य के लिये ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर) वाहन और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
10. निर्वाचन के दिन छात्रसंघ पदाधिकारी और प्रत्याशी करेंगे–
    - **क.** निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन कराने और निर्वाचन पूर्ण करने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज उत्पन्न किये अथवा व्यवधान पहुँचायें उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग।
    - **ख.** मतदान के दिन किसी भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगें।

ग. मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।

11. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिचय पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

12. चुनाव आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं।यदि प्रत्याशियों को निर्वाचन सम्बन्धी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो, वे इसको पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं।

13. निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घण्टे के अन्दर सभी प्रत्याक्षी संयुक्त रुप से निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

14. उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। निर्वाचन आयोग/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्राधिकारी, उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

15. उपर्युक्त रुप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त माननीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (धारा 153 क और अध्याय 9 क निर्वाचन सम्बन्धी अपराध) भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश समर्थ पोर्टल (https://ukadmission.samarth.ac.in/) के माध्यम से होंगे। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी समर्थ पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालय को चयनित करेंगे।

2. प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों, अन्तिम विद्यालय द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र निर्माण पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश संस्तुत तथा हस्ताक्षर प्रमाणित करवायेंगे। मूल टी.सी. तथा चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश होगा। प्रवेशार्थी के प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष अनिवार्य रुप से उपस्थित होना होगा। अनुपस्थिति की दशा में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। मूल टी.सी. के अभाव में प्रवेश स्वीकृत नहीं होगा।

3. जॉचोपरान्त जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समर्थ पोर्टल में स्वीकृत कर दिया जाता है उन्हें समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर स्वीकृत प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा, तथा वरीयता क्रम में अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम 1–12 पर विचार करना तभी सम्भव हो सकेगा जबकि नियमित विद्यार्थी बीमारी का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र और पुष्ट कारण के सापेक्ष साक्ष्य स्वरुप एफिडेविट प्रस्तुत करेगा।

5. प्रवेश की घोषित अन्तिम तिथि के तुरन्त बाद महाविद्यालय सूचना पट पर समय सारिणी चस्पा कर दी जायेगी तद्नुसार पठन–पाठन सम्पन्न होगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र अपने पास सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। महाविद्यालय परिसर में बिना परिचय पत्र के प्रवेश पूर्णतया वर्जित है।

7. किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः प्रवेश देय नहीं होगा।

8. छात्र/छात्रायें कार्य स्वयं करें। किसी भी छात्र नेता के माध्यम से कार्य न करवायें।

9. प्रवेश हेतु प्रवेश समिति के समक्ष अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

महाविद्यालय में वर्ष 2025–26 के प्रवेश के लिये

मुख्य विषयों (DSC) में आवंटित रिक्त सीटों का विवरण

1. विज्ञान संकाय

क्र0 सं0	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	क्र0 सं0	स्नातक विषय	कुल सीटें
1.	जन्तु विज्ञान– सेमे0–I	20	1.	बी0 एस0 सी0 (ZBC) सेमे0–I	160
2.	वनस्पति विज्ञान– सेमे0–I	20			
3.	रसायन विज्ञान– सेमे0–I	15	2.	बी0 एस0 सी0 (PCM) सेमे0–I	160
4.	भौतिक विज्ञान– सेमे0–I	10			
5.	गणित– सेमे0–I	20			

2. वाणिज्य संकाय

क्र0 सं0	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	कुल सीटें
1.	एम0 कॉम0– सेमे0–I	60	बी0 कॉम0–सेमे0–I	160

3. कला संकाय

क्र0 सं0	स्नातकोत्तर विषय	कुल सीटें	स्नातक विषय	सीट प्रति सेक्शन
1.	भूगोल– सेमे0–I	60	बी0 ए0 सेमे0–I (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत, गृह विज्ञान)	भूगोल तथा संगीत में 60 सीट प्रति सेक्शन तथा अन्य विषयों में 80 सीट प्रति सेक्शन
2.	अर्थशास्त्र– सेमे0–I	60		
3.	अंग्रेजी– सेमे0–I	60		
4.	हिन्दी– सेमे0–I	60		
5.	राजनीति विज्ञान– सेमे0–I	60		
6.	समाजशास्त्र– सेमे0–I	60		
7.	इतिहास– सेमे0–I	60		
8.	संगीत– सेमे0– I	20		

4. बी0 एड0 (स्ववित्त पोषित)

क्र0 सं0	स्नातक विषय	कुल सीटें	
1.	बी0 एड0– सेमे0–I	50	संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित एवं विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

नोटः– सभी संकायों में उपरोक्त सीटों के अतिरिक्त 10% सीटें EWS श्रेणी के लिए आरक्षित।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक विद्यार्थी को निम्न 07 विषयों का चयन करना है-

DSC (कोर विषय) (Discipline Specific Core): 03×4 = 12 Credit
GE (सामान्य ऐच्छिक विषय) (General Elective): 01×4 = 4 Credit
AEC (क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम) (Ability Enhancement Course): 01×2 = 2 Credit
SEC (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) (Skill Enhancement Course): 01×2 = 2 Credit
VAC (मूल्य योजित पाठ्यक्रम) (Value Added Course): 01×2 = 2 Credit
Total = 22 Credit

DSC (Discipline specific Core):

प्रत्येक प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय केवल एक संकाय (कला/विज्ञान/वाणिज्य) से 03 विषयों (DSC) का चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समूहों के अनुसार करना होगा। जैसे- बी०ए० वाले प्रवेशार्थी को 03 विषयों का चयन कला संकाय से करना होगा। बी०एस०सी० में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को 03 कोर विषयों का चयन विज्ञान संकाय से (तृतीय विषय के रूप में भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषय भी चयन कर सकते हैं) तथा बी०कॉम में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी को 03 कोर विषयों का चयन वाणिज्य संकाय से ही करना आवश्यक होगा।

GE (General Elective):

यह विषय समस्त प्रवेशार्थियों के द्वारा चौथे विषय के रूप में (उपर्युक्त चयनित 03 कोर विषयों (DSC) के अतिरिक्त) लिया जायेगा।

AEC (Ability Enhancement Course):

यह विषय भाषा साहित्य से सम्बन्धित है, जो समस्त प्रवेशार्थियों के द्वारा पाँचवें विषय के रूप में लिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में केवल द्वितीय सेमेस्टर में ही यह विषय परिवर्तित किया जा सकेगा, किन्तु परिवर्तन के उपरान्त नवीन भाषा साहित्य के प्रथम सेमेस्टर के पेपर को बैक पेपर के रूप में देना होगा।

SEC (Skill Enhancement Course):

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए संगठित किये गए पाठ्यक्रमों के निकाय (Pool) से चुना जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है प्रगतिशील (Progressive) तथा अप्रगतिशील (Non-Progressive)। यदि कोई छात्र द्वितीय सेमेस्टर में विषय बदलता है, तो वह आगामी सेमेस्टरों में अप्रगतिशील निकाय के विषयों का ही चयन करेगा।

VAC (Value Added Course):

मूल्य योजित पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, सॉफ्ट-स्किल्स (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी० ए०, बी० एस–सी०, बी० कॉम०)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश 2025
प्रवेश नियम
(शैक्षणिक सत्र 2025–2026 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय /संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 **(क)** जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/ संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/ महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट – स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

(1) महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यागं	04 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देर्शों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days
(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
(ii) Waiving of domicile requirements.

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)– 20 अंक

(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन– 20 अंक

(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/सगाभाई/बहन– 20 अंक

(ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक

(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर 40 अंक

(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 30 अंक

(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/ मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक

(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु – प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त –

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध न होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।
3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

   व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।
4. भविष्य में यू0 जी0 सी0 अथवा एन0 एच0 ई0 क्यू0 एफ0 के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1.16 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.17 एक सत्र् में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1.18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1.20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0/एम0ए0/एम0कॉम/एम0एस0सी0) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता निर्धारण के नियम (शिक्षा सत्र 2025–26)

अध्याय–2– योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2.1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (10+2) कक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र–छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, दृश्य कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत होगी–

(1) कला संकाय, दृश्य कला हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (यथा– स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश चाहता हैं तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर, महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता हैं।

2.2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2.3. शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/ पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यो/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुये प्रवेश के सम्बंध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होगें।

2.4. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.5. स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जायेगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2-6 (a) For Bachelor of Science (B. Sc.) :

ग्रुप A, B एवं C में उपलब्ध विषय विशिष्ट मूल (Desipline Specific Core) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रत्येक ग्रुप में से केवल एक विषय का चयन कर सकेगा।

Mathematics Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C**
Mathematics	Physics	Chemistry

Biology Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C**
Botany	Zoology	Chemistry

(b) For Bachelor of Arts (B. A.):

ग्रुप A, B,C,D,E एवं F में उपलब्ध विषय विशिष्ट मूल (Desipline Specific Core) के लिए निम्न ग्रुपों में से किन्हीं तीन ग्रुप का चयन कर सकेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा चयनित किये गयो प्रत्येक ग्रुप में से केवल एक विषय का चयन कर सकेगा।

A	B	C	D	E	F
English Literature Sanskrit Literature	Economics Home Science	Geography History Music	Sociology	Hindi Literature	Political Science

(c) For Bachelor of Commerce (B. Com.) :

ग्रुप A, B एवं C में उपलब्ध विषय विशिष्ट मूल (Desipline Specific Core) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रत्येक ग्रुप में से केवल एक विषय का चयन कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Organisation & Management	MICRO ECONOMICS

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

अध्यादेश - रूपरेखा 2025

ORDINANCE &
CURRICULUM FRAMEWORK – 2025

शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू

Contents :

1.	प्रस्तावना	3
2.	पारिभाषिक संकेताक्षरों के लिये सन्दर्भ सारणी (Abbreviations)	4
3.	परिभाषायें (Definitions)	4
4.	न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)	6
5.	उद्देश्य (Scope)	6
6.	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी	6
7.	कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE) -	6
8.	ए0ई0सी0 - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)	7
9.	वी0 ए0 सी0 - मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course)	7
10.	एस0ई0सी0 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course)	7
11.	आई0 ए0 पी0 सी0 (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच)/फील्डवर्क	7
12.	विषयों का चयन एवं कियान्वयन	8
13.	क्रेडिट संरचना (Credit Framework) [Multidisciplinary Courses of Study]	11
14.	मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Recognized Open Online Courses)	17
15.	क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण	17
16.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली	18
17.	उत्तीर्ण प्रतिशत	18
18.	कक्षान्नोति (Promotion)	19
19.	बैक पेपर परीक्षा	19
20.	काल अवधि	20
21.	SGPA एवं CGPA की गणना	20
22.	प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time-table)	21
23.	मैरिट का निर्धारण (Determination of Merit)	21
24.	अध्यादेश संशोधन का अधिकार	22

1- प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से लागू न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों के क्रेडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure) को National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) एवं Curriculum and Credit Framedwork for Under Graduate Programs (CCFUP) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित/पुनर्रीक्षित/निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश सं0 939/XXIV-C-4/2023-01(06)/2019, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं शासनादेश सं0 971/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के क्रम में निर्मित कर अनुमोदनार्थ पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13-02-2024 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी। उक्त बैठक में उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्टचर (Credit Structure) को अनुमोदन के पश्चात उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0 - 127/XXIV-C-4/2024-01(06)2019(E-21661), दिनांक 23 अप्रैल, 2024 अनुमोदन कर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पश्चात् शासनादेश संख्या - 221506/XXIV-C-4/2024-01(6)/2019(E-21661), दिनांक 02 जुलाई, 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उपरोक्त नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में आंशिक संशोधन के पश्चात् अन्तिम रूप दिया गया जिसे पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 में सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 के मध्य विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु प्रत्येक विषय के लिए पृथक-पृथक कार्यशालाओं का आयोजन कर पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया। इन कार्यशालाओं में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल एवं कतिपय उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा IIT, IISC, IISFR, JNU, DU इत्यादि से नामित बाह्य विशेषज्ञों द्वारा भी निर्मित पाठ्यक्रम का गहन अवलोकन कर अपने सुझाव उपलब्ध कराये, जिन्हें पाठ्यक्रम में समाहित करते हुए पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशन एवं सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05-07 मई, 2025 की अवधि में सचिवालय, स्थित सभागार देहरादून में कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों/विषय समन्वयकों द्वारा पुनः शासन द्वारा नामित ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से जुड़े विषय विशेषज्ञों के समक्ष पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया।

इसके पश्चात् दिनांक 16.05.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे सचिव, उत्तराखण्ड शासन की उपस्थिति में पुनः पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापक विचार-विमर्शोपरान्त नवीन क्रैडिट स्ट्रक्चर (Credit Structure), अनन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Tentative Minimum Common Syllabus) एवं तत्सम्बन्धी अध्यादेश को अन्तिम रूप प्रदान कर अनुमोदन किया गया।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के नेतृत्व में नवीन क्रेडिट स्ट्रक्टचर (Credit Structure) के अनुरूप विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञों द्वारा अनन्तिम न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों (Tentative Minumum Common Syllabus) को निर्मित किया गया है। जिसे पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की दिनांक 16.05.2025 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में समस्त हितधारकों (समस्त शिक्षक, विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों) के सुझाव हेतु समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वैबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्यक्ष, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति/कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 एवं 16.05.2025 में अध्यादेश के प्रावधानों को निम्नवत् स्पष्ट किया गया –

2- पारिभाषिक संकेताक्षरों के लिये सन्दर्भ सारणी (Abbreviations) –

क्रम	अंग्रेजी	हिन्दी
1.	**NHEQF** - National Higher Education Qualification Framework	एन0एच0ई0क्यू0एफ0 - राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता विन्यास
2.	**CCFUP** - Curriculum and Credit Framework for Undergradutate Programme	स्नातक कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट संरचना
3.	**DSC** - Discipline Specific Core	डी0एस0सी0 - विषय विशिष्ट मूल
4.	**DSE** - Discipline Specific Elective	डी0एस0ई0 - विषय विशिष्ट ऐच्छिक
5.	**GE** - Generic Elective	जी0ई0 - सामान्य एच्छिक
6.	**AEC** - Ability Enhancement Course	ए0ई0सी0 - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम
7.	**SEC** - Skill Enhancement Course	एस0ई0सी0 - कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम
8.	**VAC** - Value Added Course	वी0ए0सी0 - मूल्य योजन पाठ्यक्रम
9.	**IAPC** - Internship/Apprentice/Project/Community Outreach	(इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच)
10.	**NCVET - National Council for Vocational Education and Training**	एन0 सी0 वी0 ई0 टी0 - राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद

3 - परिभाषायें (Definitions) –

3.1 क्रेडिट (**Credit**) – एक क्रेडिट वह इकाई है जिसके द्वारा पाठ्यकार्य का मापन किया जाता है। यह प्रति सप्ताह में आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या को निर्धारित करता है। एक क्रेडिट प्रति सप्ताह 01 घन्टे के शिक्षण [व्याख्यान (Lecture) या अनुव्याख्यान (Tutorial)] अथवा 02 घंटे के प्रायोगिक कार्य/फील्डवर्क (Practical/Field Work) के तुल्य है।

3.2 उपलब्ध पाठ्यक्रम (**Available Courses**) – अध्ययन के पाठ्यक्रम एक विषय विशेष में अध्ययन के अनुसरण को इंगित करते हैं। प्रत्येक विषय पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियों को प्रस्तुत करेगा, मामतः विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core), विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE - Discipline Specific Elective) और सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective)।

3.3 **क – विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core)** – विषय विशिष्ट मूल (DSC) अध्ययन का मुख्य पाठ्यक्रम है, जिसे छात्र द्वारा अध्ययन के अपने कार्यक्रम की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। विषय विशिष्ट मूल (DSC) उस विशेष विषय के क्रेडिट (Credit) पाठ्यक्रम होंगे, जिन्हे राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के अनुसार Entry/Exit विकल्पों के साथ, छात्र द्वारा किये जा रहे अध्ययन के सत्र में उचित रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जाएगा।

ख – विषय विशिष्ट ऐच्छिक (DSE - Discipline Specific Elective) – विषय विशिष्ट ऐच्छिक यथावश्यक, उस विशेष विषय (अध्ययन के एकल विषय कार्यक्रम) या उन विषयों (अध्ययन के बहुविषयक कार्यक्रम) के क्रेडिट पाठ्यक्रमों का एक निकाय होगा, जिसे विद्यार्थी अपने विषय विशेष (**Discipline Specific**) से अध्ययन हेतु चुनता है। विषय विशिष्ट ऐच्छिक का एक निकाय होगा जिसमें से छात्र एक DSE का चयन कर सकता है। रूपरेखा के निर्दिष्ट विषय विशिष्ट ऐच्छिक को सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के रूप में पहचाना जायेगा।

ग - **सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective)** – सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective) पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा जो छात्रों को बहुविषयक या अन्तर्विषयक शिक्षा प्रदान करने के लिए है। विद्यार्थियों द्वारा सामान्य ऐच्छिक (GE - Generic Elective) विषय का चुनाव इस प्रकार किया जा सकेगा कि वह विद्यार्थियों द्वारा चयनित **विषय विशिष्ट मूल (DSC - Discipline Specific Core)** से सम्बन्धित न हो।

घ - **क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC - Ability Enhancement Course)** – क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे भाषा और साहित्य एवं पर्यावरण विज्ञान तथा समग्र विकास है जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होंगे।

ङ - **कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC - Skill Enhancement Course)** – कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों को कौशल-आधारित निर्देश प्रदान करने के लिए संघटित किये गए पाठ्यक्रमों के निकाय (Pool) से चुना जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को 02 श्रेणियों में विभाजित किया गया है Progressive तथा Non-Progressive I

च - **मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC - Value Added Course)** – मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे।

ये तीन पाठ्यक्रम सभी विभागों द्वारा विषम और सम सत्रों के समूहों में प्रस्तुत किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का एक निकाय (Pool) होगा, जिसमें से विद्यार्थी अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रमों (AEC,SEC,VAC) का चयन कर सकते हैं।

3.4 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)** – एक वर्ष का यू0 जी0 सर्टिफिकेट, दो वर्ष का यू0 जी0 डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री (बी0 ए0 बी0 एस-सी0, बी0 कॉम0 इत्यादि), चार वर्ष की स्नातक (आर्नस) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (आर्नस विद रिसर्च) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान की जायेगी।

3.5 3.5.1 संकाय (Faculty)-

A. संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

B. विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत जो संकाय व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.6 3.6.1 विषय (**Subject**)-

A. संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

B. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.7 3.7.1 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (**Course/Paper**)-

A. एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

B. थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4 - न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) –

4.1 सभी विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) के रूप में उपलब्ध कराये गए पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम समान रखेंगे ताकि अन्तर्विश्वविद्यालय क्रेडिट ट्रान्सफर/ Equivalence सुगमता से संचालित हो सकें।

4.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक विषय (DSC/DSE/GE इत्यादि) के क्रेडिट निर्धारित किये गए हैं। सभी विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम में आन्तरिक रूप से व्याख्यानों की संख्या इत्यादि अपने स्तर से तय कर सकते हैं।

5. उद्देश्य (Scope) –

5.1. यह व्यवस्था Basic / Applied Science, Arts, Social Sciences & Humanities, Languages & Commerce के सभी संकायों पर लागू होगी।

5.2 ऐसे समस्त पाठ्यक्रम जिनके प्रवेश, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संरचना का निर्धारण उनकी पृथक नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् लागू की जायेगी।

6. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी –

6.1 यह नयी क्रेडिट व्यवस्था सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगी। जिन स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है ऐसे पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था सम्बन्धित नियामक संस्थाओं से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् लागू की जायेगी।

6.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु नवीन क्रेडिट व्यवस्था प्रोग्रेसिव मोड (Progressive Mode) में लागू की जायेगी, जिसके दृष्टिगत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एन0ई0पी0 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थियों पर उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2028-29 से लागू की जायेगी।

6.3 शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों का त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम जून, 2025 में पूर्ण होने के पश्चात इन विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत प्रवेश देते हुए ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से लागू की जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन क्रेडिट स्ट्रक्चर तथा उसके अनुरूप निर्मित पाठ्यक्रम लागू होंगे। ऐसे छात्र 03 वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ 02 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अथवा 04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होंगे। इन छात्रों को स्टैण्डअलोन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में प्रवेश अनुमन्य किया जा सकेगा।

7- कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE) –

7.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 कोर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा।

7.2 विद्यार्थियों द्वारा संकाय के अन्तर्गत कोर विषयों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रुप में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।

7.3 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

7.5 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

(GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा।

7.7 सामान्य एच्छिक (GE) का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य एच्छिक (GE) की कक्षायें संकाय में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

7.8 विद्यार्थियों द्वारा किसी भी विषय का चयन करते समय उन विषयों हेतु पूर्वनिर्धारित अर्हता (Pre-Requisite/eligibilty) पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

8- ए0 ई0 सी0 - क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)-

क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में 04 क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (ए0ई0सी0) पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट्स का होगा।

9- एस0 ई0 सी0 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course)-

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 03 वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/Recognized Online Platforms में से पूर्ण करना होगा।

10- वी0 ए0 सी0 मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) -

मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 02 वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

- विद्यार्थियों को मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) के अन्तर्गत प्रथम वर्ष किसी एक सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
- AEC, SEC एवं VAC पाठ्यक्रम हेतु Pool/Recognized Online Platforms निर्मित किये गये हैं, जो सांकेतिक हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनके पास उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप इन Pool में वर्णित विषय/पाठ्यक्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। महाविद्यालय स्तर पर इन पाठ्यक्रमों के संचालन में महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool से ही विषयों/पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य होगा।

11- आई0 ए0 पी0 सी0 (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच)/फीलबर्क -

इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच (IAPC) पर आधारित पाठ्यक्रम हैं, जो छात्रों को इन्टर्नशिप, प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस, कम्यूनिटी आउटरिच पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक

7.6 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य एच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा।

7.7 सामान्य एच्छिक (GE) का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य एच्छिक (GE) की कक्षायें संकाय में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

7.8 विद्यार्थियों द्वारा किसी भी विषय का चयन करते समय उन विषयों हेतु पूर्वनिर्धारित अर्हता (Pre-Requisite/eligibilty) पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

8- ए0 ई0 सी0 – क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course)–

क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं। विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में 04 क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (ए0ई0सी0) पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट्स का होगा।

9- एस0 ई0 सी0 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course)–

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम हैं और इनका उद्देश्य व्यावहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 03 वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/Recognized Online Platforms में से पूर्ण करना होगा।

10- वी0 ए0 सी0 मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) –

मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) मूल्य आधारित पाठ्यक्रम हैं जो छात्रों को नैतिकता, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेंगे। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 02 वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

- विद्यार्थियों को मूल्य योजन पाठ्यक्रम (VAC) के अन्तर्गत प्रथम वर्ष किसी एक सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
- AEC, SEC एवं VAC पाठ्यक्रम हेतु Pool/Recognized Online Platforms निर्मित किये गये हैं, जो सांकेतिक हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उनके पास उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप इन Pool में वर्णित विषय/पाठ्यक्रम के संचालन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। महाविद्यालय स्तर पर इन पाठ्यक्रमों के संचालन में महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool से ही विषयों/पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य होगा।

11- आई0 ए0 पी0 सी0 (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच)/फील्डवर्क –

इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरिच (IAPC) पर आधारित पाठ्यक्रम हैं, जो छात्रों को इन्टर्नशिप, प्रोजेक्ट, सोशल सर्विस, कम्यूनिटी आउटरिच पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक

सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/FIELD WORK से सम्बन्धित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

12- विषयों का चयन एवं क्रियान्वयन

12.1 **DSC - Discipline Specific Core :** स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेते समय विद्यार्थी द्वारा विषयों के चयन हेतु सर्वप्रथम संकाय चुनने के पश्चात् सम्बन्धित संकाय से 03 विषय विशिष्ट मूल (DSC) के रूप में चुने जाने होंगे जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रुप के आधार पर चयनित किये जायेंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है और यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किये जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी। अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गये विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

12.2 **AEC - Ability Enhancement Course :** इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टरों) में भाषा आधारित 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। किसी भी भाषा का आधार मजबूत करने के लिये 06-08 क्रेडिट की पढ़ाई का पूर्ण किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

चतुर्थ सेमेस्टर से Reasoning and Aptitutde अथवा भाषा में से किसी एक विकल्प को चुने जाने का विकल्प विद्यार्थी के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में AEC के अन्तर्गत विद्यार्थी को सावधानीपूर्वक भाषा का चयन करना होगा, जिससे आगामी सेमेस्टर में इसे परिवर्तित करने की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि अपरिहार्य स्थिति में कोई विद्यार्थी AEC के अन्तर्गत चयनित भाषा का परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को अपने प्रवेश के समय आवंटित किये गया क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) में मात्र प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त द्वितीय सेमेस्टर में ही परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। परन्तु क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (AEC) प्रोग्रेसिव मोड पर आधारित पाठ्यक्रम है, अतः विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त परिवर्तित कर चुने गये नये AEC के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा साथ ही चुने गये नये AEC के प्रथम सेमेस्टर के क्रेडिट को पृथक से बैकलॉग के माध्यम से अर्जित किया जाना होगा। प्रथम सेमेस्टर में पूर्व में चयनित AEC के अर्जित क्रेडिट मान्य नहीं होंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे साथ ही सम्बन्धित AEC में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

12.3 **VAC - Value Added Course :** इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक दो वर्षों (04 सेमेस्टरों) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) को विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से चयन कर सकता है, उसका प्रगतिशील (Progressive) चयन अनिवार्य नहीं होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

12.4 **SEC - Skill Enhancement Course :** इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को प्रारम्भिक तीन वर्षों (06 सेमेस्टरों) में 02 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का प्रावधान है। विद्यार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पूल से SEC का चयन कर सकता है। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव (Progressive) के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरान्त वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का चयन करना होगा जोकि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) के चयन के समय विद्यार्थी को अपने मूल विषय से भिन्न प्रकृति के पाठ्यक्रमों का चयन किये जाने के लिये प्रेरित किया जाना होगा, जिससे कि वह अपने मूल विषय के अतिरिक्त कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) का अध्ययन कर सके।

12.5 **AEC/VAC/SEC का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन :** कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course), मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) तथा क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तय करेंगे। सम्बन्धित कोर्स (AEC/SEC/VAC) में सीट निर्धारण भी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप किया जा सकेगा।

12.6 **Nomenclature of Certificate/Diiploma/Degree :** प्रत्येक अकादमिक वर्ष के उपरान्त कार्यक्रम को पूर्ण करने पर (निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने पर) औपचारिक प्रमाणन की आवश्यकता होगी। इसके लिये एक मानकीकृत (Standard) नामकरण प्रणाली को अपनाये जाने का प्रस्ताव है। उक्त नामकरण प्रणाली में कार्यक्रम, कोर कोर्स, एवं AEC/SEC/VAC के शीर्षक एवं अर्जित क्रेडिट का उल्लेख होगा।

उदाहरण - एक वर्ष - बी0 एस-सी0 फिजिकल साईन्स, कोरः भौतिकी, रसायन, AEC - अंग्रेजी, SEC - साईंटिफिक राईटिंग, VAC - पर्यावरण विज्ञान - कुल क्रेडिट - 44

तीन वर्ष के पश्चात् स्नातक, चतुर्थ वर्ष (FYUP के अन्तर्गत) Honours/Honours with Major-Minor/Honours with Research इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रदान किये जायेंगे।

12.7 **IAPC & Fieldwork :** इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष के पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का एक-एक इन्टर्नशिप अथवा अप्रेन्टिसशिप अथवा प्रोजेक्ट तथा कम्यूनिटी आउटरीच अथवा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) का चयन करना होगा। इन्टर्नशिप, अप्रेन्टिसशिप, प्रोजेक्ट तथा कम्यूनिटी आउटरीच तथा फील्डवर्क (IAPC & Fieldwork) Application based होना चाहिए। IAPC & Fieldwork के मूल्यांकन को निष्पक्ष एवं सन्तुलित बनाये जाने के सन्दर्भ प्रस्ताव है कि इन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन हेतु त्रिस्तरीय मूल्यांकन संरचना लागू की जायेगी-

1. सुपरवाईजर/मेन्टॉर-IAPC & Fieldworkकी प्रगति एवं निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे।
2. विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त मूल्यांकन व्यवस्था तय करेंगे।

12.8 **Minor Project :** स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष (सेमेस्टर) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को IAPC & Fieldwork के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मूलभूत ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी तृतीय वर्ष में लागू IAPC & Fieldwork को कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकें। स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को लघु परियोजनाओं का ज्ञान अर्जित किये जाने हेतु द्वितीय वर्ष में किसी एक सेमेस्टर में विद्यार्थी को SEC के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबन्ध (Minor Project) पूर्ण करना आवश्यक होगा।

12.9 **Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project** : इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 06 क्रैडिट प्रति सेमेस्टर के Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का अध्ययन करने का प्रावधान है। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रारम्भ में विद्यार्थियों को Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project का Topic आवंटित किया जायेगा। चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में Dissertation/ Entrepreneurship/ Academic Projectके मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा Outcome निर्धारित किये जायेंगे तथा विद्यार्थी द्वारा इन Outcomes को प्रत्येक सेमेस्टर में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर सम्बन्धित सेमेस्टर हेतु मूल्यांकन किया जायेगा। Dissertation/ Entrepreneurship/Academic Project की रिपोर्ट विद्यार्थी द्वारा वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल्यांकन हेतु Presentation भी अनिवार्य होगा।

प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी आन्तरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मूल्यांकन विधि तय करेंगे।

12.10 **Data Science :** कला वर्ग कि विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक समेस्टर में SEC के अन्तर्गत डॉटा साइन्स (Data Science) से सम्बन्धित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को डेटा साईन्स का पाठ्यक्रम अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त क्रैडिट अर्जित करने के आधार पर भी प्रेरित किया जा सकता है। जिस हेतु विद्यार्थियों को अतिरिक्त अर्जित क्रैडिट के अतिरिक्त Certification भी प्रदान किया जा सकता है। जिसका वर्णन विद्यार्थी की डिग्री में भी अंकित किया जा सकता है।

12.11 Entrepreneurship/Data Analytics/Artificial Intelligence पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि –

क. 04 क्रैडिट के GE के रूप में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

ख. GE के अन्तर्गत 28 क्रैडिट पूर्ण किये जाने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत CCFUP में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप माईनर का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा।

12.12 Online/MOOC's पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्रैडिट्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि–

क. क्रैडिट संरचना में FYUP के अन्तर्गत डिग्री हेतु 176 क्रैडिट अर्जित किये जाने अनिवार्य है।

ख. Online/MOOCs के माध्यम से अतिरिक्त क्रैडिट को शामिल किये जाने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नीति निर्धारण करेंगे।

ग. आवश्यकतानुसार इन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित क्रैडिट्स को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तृत नीति तैयार की जानी होगी।

घ. इन क्रैडिट्स को सीधे Academic Bank of Credits (ABC) में जोड़ा जा सकता है।

ङ अतिरिक्त अर्जित क्रैडिट्स का उपयोग मैरिट निर्धारण हेतु नहीं किया जा सकेगा।

12.13 सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर न्यूनतम 26 क्रेडिट अर्जित किया जाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थी दोनों सेमेस्टरों में शैक्षणिक रूप से सक्रिय रहें एवं उनका पठन-पाठन नियमित रूप से संचालित होता रहे। यह नियम समस्त पाठ्यक्रमों एवं समस्त वर्गों पर समान रूप से लागू होगा।

13- क्रेडिट संरचना (Credit Framework) [Multidisciplinary Courses of Study]

Illustration - 1:
Multidisciplinary Courses of Study
[Three core Disciplines]
for B.com DSC A|B|C shall be replaced with DSC 1|2|3/Allied Disciplines

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice ship/Project/Field Work (2)	Value added course (VAC)	Total Credits
I	Discipline A1- (4) Discipline B1- (4) Discipline C1- (4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
II	Discipline A2- (4) Discipline B2- (4) Discipline C2- (4)		Choose one from a pool of courses GE-2 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
Students on exit shall be awarded Undergraduate Certificate (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 44 credits in Semesters I and II								Total = 44
III	Discipline A 3 (4) Discipline B 3 (4) Discipline C 3 (4)	Choose from pool of courses, DSE A/B/C (4) OR Choose from pool of courses, GE -3 (4)		Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
IV	Discipline A 4 (4) Discipline B 4 (4) Discipline C 4 (4)	Choose from pool of courses, DSE A/B/C (4) OR Choose from pool of courses GE - 4 (4)		Choose one from a pool of AEC courses (2) **Or** Reasoning & Aptitude	Choose one SEC (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
Students on exit shall be awarded Undergraduate Diploma (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 88 credits on completion of Semester IV								Total = 88

Semester	Core	Elective	Generic	Ability	Skill	Internship/	Value added course	Total

	(DSC)	(DSE) Elective (GE)	Enhancement Course (AEC)	Enhancement Course (SEC)	Apprentice ship/Project (4)	(VAC)	Credits
V	Discipline A 5 (4) Discipline B 5 (4) Discipline C 5 (4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C- (4) OR Choose one from a pool of courses GE-5 (4)		Choose one SEC (2)	Internship/ Apprenticeship/ Project/Community outreach /Field work (4)		22 credits
VI	Discipline A 6 (4) Discipline B 6 (4) Discipline C 6 (4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C– (4) OR Choose one from a pool of courses GE-6 (4)		Choose one SEC (2)	Internship/ Apprenticeship/ Project/Community outreach/ Field work (4)		22 credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 132 credits on completion of Semester VI							Total= 132
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE) Or Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice ship/Project (2)	Dissertation	Total Credits
VII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE-(2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (Total= 12)				Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
VIII	D SC- (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE -(2x4) one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)				Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary Study with Major/Minor) (Honours or Honours with Academic Projects/Entrepreneurship/Research) after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII Or If a student opts for a two-year PG program, they have the option to obtain a PG diploma in the core subject upon earning 44 credits at the conclusion of the second semester of the PG program.							Total = 176

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice ship/Project (2)	Dissertation	Total Credits
IX	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
X	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two D SE -(2x4) one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneurship (6)	22 credits
Students on exit shall be Master's in Core subject after securing the requisite 220 credits on completion of Semester X								Total = 220

Important Note :

1- Students studying DSEs offered by any Discipline other than his/her Core Discipline will be treated as GE for him/her.
जो विद्यार्थी अपने कोर विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय विशिष्ट ऐच्छिक लेता है तो ऐसा विषय विशिष्ट ऐच्छिक, सामान्य ऐच्छिक माना जायेगा।

2- Honours Degree: To pursue an Honours degree in a field of multidisciplinary study, candidates will have to choose, in the fourth year, only one of the disciplines (either A or B or C).
आनर्स उपाधि – यदि कोई विद्यार्थी बहुविषयक अध्ययन में ऑनर्स उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे विद्यार्थी को चौथे वर्ष में A अथवा B अथवा C में से एक विषय लेना होगा।

3- Major and Minor shall be awarded on fulfilment of the following conditions. Major -> 80 credits, Minor -> 28 credits
Example -
B.Sc. Physical Sciences programme with Physics, Mathematics, and Chemistry as core disciplines.

Case I: He/She shall get Major in Physics, on successful completion of VIII semester, if he/she earns a minimum of 80 credits in Physics from Eight DSCs and at least Nine DSEs of Physics and writes a dissertation in Physics.

Advice: Students are advised to choose the discipline in which they wish to Major and must study at least Three DSEs of that discipline in the first three years. Like in this example, the student must decide earlier and study three DSEs of Physics in the first three years as only a maximum of six DSEs are available in the fourth year. Similarly, if the student wants to minor in any of the remaining two disciplines, he/she should study one DSE of that discipline in the first three years. He/She shall get a Minor in Mathematics, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and one DSE of Mathematics. Or He/She shall get a Minor in Chemistry, if he/she earns a minimum of 28 credits from Six DSCs and One DSE of Chemistry.

Case II: If a student doesn't do a dissertation in Physics but in other disciplines, say Mathematics or Chemistry, or does Academic Project or Entrepreneurship, then he/she will not be awarded Major in Physics, as he/she will be unable to obtain 80 credits. In such cases, he/she will be awarded B.Sc. (Honours) Physical Sciences.

विद्यार्थियों को निम्नांकित शर्तों को पूर्ण करने पर ही मेजर तथा माईनर प्रदान किया जायेगा - मेजर -> 80 क्रेडिट्स, माईनर -> 28 क्रेडिट्स।

उदाहरण-

बी0 एस-सी0 फिजिकल साईन्स पाठ्यक्रम - जिसमें भौतिकी, गणित तथा रसायन विज्ञान का विद्यार्थी द्वारा कोर विषय के रूप में चयन किया गया है।

केस - 1 : विद्यार्थी को आठवें सेमेस्टर के सफल समापन पर भौतिकी का मेजर केवल इसी शर्त पर प्रदान किया जायेगा जब उसने 08 डी0 एस0 सी0 तथा कम से कम 09 डी0 एस0 ई0 एवं 01 शोध प्रबन्ध भौतिकी विषय के रूप में चयन कर न्यूनतम 80 क्रेडिट प्राप्त कर लिये हों।

सलाह - विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उस विषय को चुने जिसमें वे मेजर करना चाहते हैं, जिसमें विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों में उस विषय में कम से कम 03 डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिये विद्यार्थी को पहले निर्णय लेना होगा और पहले तीन वर्षों में भौतिकी के तीन डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना होगा क्योंकि चतुर्थ वर्ष में अधिकतम 06 डी0 एस0 ई0 उपलब्ध है। इसी प्रकार, यदि छात्र शेष 02 विषयों में से किसी में माईनर करना चाहता है तो उसे पहले तीन वर्षों में उस विषय के 01 डी0 एस0 ई0 का अध्ययन करना होगा। यदि वह 06 डी0 एस0 सी और गणित में न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे गणित में माइनर मिलेगा। या यदि वह रसायन विज्ञान के 06 डी0 एस0 ई0 और 01 डी0 एस0 ई0 से न्यूनतम 28 क्रेडिट अर्जित करता है, तो उसे रसायन विज्ञान में माईनर मिलेगा।

केस - 2 : यदि कोई छात्र भौतिकी में शोध प्रबंध नहीं करता है, लेकिन अन्य विषयों, जैसे गणित या रसायन विज्ञान या अकादमिक परियोजना या उद्यमिता करता है तो उसे भौतिकी में मेजर प्रदान नहीं किया जायेगा क्योंकि वह 80 क्रेडिट अर्जित करने में असमर्थ होगा। ऐसे मामलों में उसे बी0 एस-सी0 ऑनर्स की उपाधि फिजिकल साईन्सेज में प्रदान की जायेगी।

5- त्रीवर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियो हेतु स्नातक स्तर का चतुर्थ वर्ष स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के समतुल्य होगा।

6- चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) पूर्ण करने वाले विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह माने जायेंगे।

Bachelor of (Field of Study/ Discipline) (Hons.) [single core Disciplines]								
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice ship/Project/Fi eld Work* (2)	Value added course (VAC)	Total Credits
I	DSC - 1(4) DSC - 2(4) DSC - 3(4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
II	DSC - 4(4) DSC - 5(4) DSC - 6(4)		Choose one from a pool of courses GE-2(4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
Students on exit shall be awarded Undergraduate Certificate (in the Field of Study/ Discipline) after securing the requisite 44 credits in Semesters I and II								Total = 44
III	DSC - 7(4) DSC - 8(4) DSC -9 (4)	Choose one from pool of courses, DSE – 1 (4) OR Choose one from pool of courses, GE -3 (4)**		Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC Or Internship/ Apprenticeship/ Project/Community Outreach (IAPC) (2)*		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
IV	DSC - 10(4) DSC - 11(4) DSC - 12(4)	Choose one from pool of courses, DSE – 2 (4) OR in the alternative choose one from pool of courses GE - 4 (4)**		Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one SEC Or Internship/ Apprenticeship/ Project/Community Outreach (IAPC) (2)*		Choose one from a pool of courses (2)	22 credits
Students on exit shall be awarded Undergraduate Diploma (in the Field of Study/ Discipline) after securing the requisite 88 credits on completion of Semester IV								Total = 88
V	DSC - 13(4) DSC - 14(4) DSC - 15(4)	Choose one from a pool of courses DSE - 3 (4)	Choose one from a pool of courses GE-5 (4)		Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/Community Outreach (IAPC) (2)**			22 credits
VI	DSC - 16(4) DSC - 17(4) DSC - 18(4)	Choose one from a pool of courses DSE - 4 (4)	Choose one from a pool of courses GE-6 (4)		Choose one SEC OR 'Internship/ Apprenticeship/ Project/Research/ Community Outreach (2)***			22 credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Study/Discipline) after securing the requisite 132 credits on completion of Semester VI								Total = 132

Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (AEC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprentice ship/Project (2)	Dissertation Etc.	Total Credits
VII	DSC-19 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6)	22 credits
VIII	DSC-20 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6)	22 credits
Students, on exit, shall be awarded a **Bachelor of (in the Field of Study/Discipline)** — either **Honours with Research / Academic Projects / Entrepreneurship**, or **Honours with Research in Discipline-1 (Major) with Discipline-2 (Minor)** — after securing the requisite **176 credits** on completion of **Semester VIII**.								Total = 176
IX	DSC-21 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6)	22 credits
X	DSC-22 (4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE- (2x4) and one GE (4) course OR Choose one DSE (4) and two GE (2x4) courses (total = 12)					Dissertation on Major (6) OR Dissertation on Minor (6) OR Academic project/ Entrepreneu rship (6)	22 credits
Students on exit shall be Master's in Core subject after securing the requisite 220 credits on completion of Semester X								Total = 220

* There shall be choice in III, IV, V and VI Semesters to choose either one 'SEC' or in the alternative 'Internship/Apprenticeship/Project/Community Outreach' in each Semester for two credits each.

14- मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Recognized Open Online Courses)

14.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

14.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी 40% समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित सक्षम समिति (Competent Authority) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

15- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण –

15.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

15.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

15.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे।

15.4 विद्यार्थी न्यूनतम 44 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 88 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 176 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (ऑनर्स) डिग्री, न्यूनतम 220 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नाताकोत्तर डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 44 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 44 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) करेगा, जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष में 88 (44 + 44) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

15.5 स्नातक स्तर पर तीन वर्ष में विद्यार्थी DSC/DSE/GE विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

15.6 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

15.7 समस्त DSC, DSE एवं GE हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारित हैं। ऐसे विषय जिनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटक सम्मिलित हैं उनमें सैद्धान्तिक (Theory) एवं प्रयोगात्मक (Practical) घटकों का क्रेडिट निर्धारण उन विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम में वर्णित क्रेडिट व्यवस्था के आधार पर होगा।

15.8 समस्त AEC, VAC, एवं SEC हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 02 क्रेडिट निर्धारित हैं।

15.9 IAPC/FIELD WORK हेतु नवीन क्रेडिट संरचना में 04 क्रेडिट निर्धारित हैं।

15.10 ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी एक विभाग विशेष द्वारा संचालित नहीं होते हैं उनको संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक Multidisciplinary, Board of Studies का गठन कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा।

16- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली –

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	

17- उत्तीर्ण प्रतिशत –

17.1 उपरोक्त तालिका में DSC, DSE and GE विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर सभी (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल पृथक–पृथक) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत ही होगा।

17.2 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सभी विषयों में DSC/DSE/GE के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continious Internal Evaluation) व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

17.3 AEC/SEC/VAC/Dissertation/IAPC/Field Work इत्यादि के प्रत्येक कोर्स में उत्तीर्ण होने हेतु 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा तथा इनकी परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्बन्धित विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित की जायेगी।

17.4 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक से कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा।

17.5 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रत्येक कोर्स का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 होगा।

17.6 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

17.7 मूल्यांकन एवं परीक्षाफल के सम्बन्ध में नीति निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

18 - कक्षान्नोति (Promotion)

18.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

18.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी –

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स् का न्यूनतम 26 क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों।

19 - बैक पेपर परीक्षा –

19.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

19.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी। अर्थात सम सेमेस्टर की बैक परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ और विषम सेमेस्टर की बैक परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ।

19.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो तत्समय संचालित सम्बन्धित सेमेस्टर में लागू है।

19.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक दे सकता है।

19.5 किसी भी पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की स्पेशल बैक परीक्षा अनुमन्य नहीं होगी।

20 - काल अवधि –

किसी भी पाठ्यक्रम (UG Certificate/UG Diploma/UG Degree/UG Degree Honours/PG Degree) को पूर्ण करने के लिये अधिकतम काल अवधि N + 02 वर्ष होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देश संख्या – D.O.No.F.12-1/2015 (CPP-II) दिनांक 15th October, 2015 के क्रम में अधिकतम 01 वर्ष काल अवधि विनिर्दिष्ट उपनियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

काल अवधि के सम्बन्ध में NEP के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा Expiry of Credits से सम्बन्धित प्रावधान अंतिम रूप से मान्य होंगें।

21- SGPA एवं CGPA की गणना –

21.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – SGPA (Sj) = ∑(Ci x Gi) / ∑Ci	यहाँ पर – Ci = number of credits of the ith coursein jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
CGPA = ∑(Cj x Sj) / ∑Cj	यहाँ पर – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester

21.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगा–

CCD	Course Title	CT	SEM	CRDT	GR	GR(P)	CRPT
0012421801	Economics: Basics of Microeconomics	DSC	I	4	B+	7	28
0012421501	History: History of India	DSC	I	4	B	6	24
0012421301	Political Science: Indian Political System	DSC	I	4	A	8	32
0032442107	Basic Physics I	GE	I	4	B	6	24
0052441703	Yoga and Humaun Values	VAC	I	2	B	6	12
0042461207	हिंदी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार	AEC	I	2	B+	7	14

0062471218	Data Analytics	SEC	I	2	B	6	12

SEM	TOTAL CREDIT	TOTAL CR. PT.	SGPA	RESULT
I	22	146	6.63	PASS

Credit points = Grade point x Credit
SGPA = Total credit points / total credits (146/22 = 6.63)
Rounded to two decimal digits

CALCULATION OF CGPA			
Semester 1	**Semester 2**	**Semester 3**	**Semester 4**
Credit : 22 SGPA : 6.63	Credit : 22 SGPA : 7.22	Credit : 22 SGPA : 8.96	Credit : 22 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade Value / Total Credits
(In all the semesters till now.)
Thus, CGPA = (22 X 6.63 + 22 x 7.22 + 22 X 8.96 + 22x7.22)/88 = 7.50
Hence, equivalent percentage = 7.50 X 9.5 = 71.25
And the **Division** will be **First**

21.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी:

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

22 - प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time-table)

22.1 समय–सारणी (Time-table) निर्मित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

22.2 विश्वविद्यालय सभी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विनिर्देशों के अनुरुप तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

22.3 स्नातक स्तर के चतुर्थ वर्ष (FYUP) में प्रवेश हेतु अर्हता का निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

23 - मैरिट का निर्धारण (Determination of Merit) –

23.1 विश्वविद्यालय मैरिट में स्थान का निर्धारण विद्यार्थी द्वारा अर्जित कुल ग्रेड प्वाईन्ट (CGPA) के आधार पर किया जायेगा। समान CGPA होने की स्थिति में कुल ग्रेड प्वाईन्ट (CGPA) को समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिये Conversion Factor 9.5 का प्रयोग करते हुए मैरिट का निर्धारण किया जायेगा।

23.2 जिन पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश अनुमन्य किया जाता है ऐसे विद्यार्थियों हेतु मैरिट निर्धारण सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा Lateral Entry के विद्यार्थियों को मैरिट सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने हेतु पृथक से विश्वविद्यालय स्तर पर नीति निर्धारित की जा सकती है।

24 - अध्यादेश संशोधन का अधिकार –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना भी आवश्यक होगा। अध्यादेश में भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा–निर्देशों एवं अध्यादेशों को समाहित किया जाना अनिवार्य होगा तथा अध्यादेश में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

TENTATIVE LIST OF SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC'S)

S.No.	SUBJECT	No.	NAME OF THE COURSE
1	Botany	1	Mushroom Cultivation I
		2	Mushroom Cultivation II
		3	Mushroom Cultivation III
		4	Mushroom Cultivation IV
		5	Mushroom Cultivation V
		6	Mushroom Cultivation VI
2	Chemistry	7	Introduction To Chemistry Laboratory
		8	Laboratory Techniques
		9	Cosmetics And Perfume
		10	Soap And Detergents Formulation
		11	UV And FTIR Spectroscopy
		12	HPLC And GC Techniques
3	Commerce	13	Personal Financial Planning
		14	Digital Marketing
		15	Investing In Stock Markets
		16	Level 1:Certificate In BFSI – Architecture
		17	Level 2:Certificate In Mutual Fund
		18	Entrepreneurship And New Venture Creation
4	Computer Science	19	Office 365
		20	Excel
		21	PowerPoint Presentation
		22	Cyber Security Awareness
		23	Unix System Administration & Shell Programming
		24	Client-Side Web Technology
5	Drawing And Painting	25	Pencil Sketching Skill
		26	Pencil Shading Skill
		27	Poster Designing
		28	Traditional Composition
		29	Nature Study
		30	Head Study In Charcoal
6	Economics	31	Regional Economics and Urbanization In Uttarakhand
		32	Environmental Economics
		33	Entrepreneurship Development Skills
		34	Fundamentals Of Startups
7	Education	35	Computer In Education
		36	Leadership And Personality Development
		37	Digital Education
		38	ICT In Education

		39	Data Interpretation and Statistical Analysis
8	English	40	Public Speaking and Leadership Skills
		41	Creativity and Performances in Uttarakhand
		42	Academic Writing
		43	Editing and Proofreading
		44	Language and Journalism
		45	Film Appreciation
9	Forestry	46	Nursery Technology
		47	Plantation Technology
		48	Propagation of Medicinal and Aromatic Plants
10	Geography A. Climate Change And Adaptability In Mountains	49	Introduction to Mountain Ecosystems and Geography
		50	Fundamentals of Climate Change
		51	The Impact of Climate Change on Mountain Regions
		52	Climate Change Mitigation and Adaptation in Mountain Regions
		53	Mountain Conservation and Ecosystem Services
		54	Mountain Research Project and Climate Change Advocacy
11	Geology	55	Gems, Precious Stone and Building Materials (Theory)
		56	Gems, Precious Stone and Building Materials (Lab)
12	Hindi	57	हिन्दी में भाषा कम्प्यूटिंग एवं संचार
		58	रचनात्मक लेखन का परिचय
		59	प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं शासकीय पत्र लेखन
		60	विज्ञापन लेखन
		61	पटकथा लेखन
		62	कुमाऊँनी संस्कृति एवं भाषा
13	Home Science (Prepared for the Pool of Courses)	63	Personality Development
		64	Fashion Apparel Designing
		65	Guidance and Counselling
		66	Public Speaking
		67	Sustainable development
		68	Intervention of Children with Special needs
14	Mathematics	69	Mathematical Techniques
		70	Data Analysis Methods
		71	Financial Mathematical Analysis
15	Music	72	Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 01
		73	Basic Knowledge of Hindustani Music Vocal - 02
		74	Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal - 03
		75	Intermediate Knowledge of Hindustani Music Vocal – 04
		76	Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 05

		77	Advanced Knowledge of Hindustani Music Vocal – 06
16	Physical Education	78	Indigenous Activities - I
		79	Indigenous Activities – II
		80	Fitness & Conditioning
		81	Yoga and Wellness
		82	Adventure Sports
		83	Gym Operation
17	Physics	84	Basic Instrumentation Skills -I
		85	Basic Instrumentation Skills -II
		86	Basic Instrumentation Skills -III
		87	Basic Instrumentation Skills -IV
18	Psychology	88	Personal Growth and Life Skills
		89	Stress Management
		90	Application of Emotional Intelligence
		91	Effective Decision Making
		92	Psychological Skills in Counseling Psychology
		93	Child and Adolescent Development
19	Sanskrit	94	नित्यनैमित्तिक अनुष्ठान
		95	संस्कृत संगणक
		96	ज्योतिशषास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त
		97	संस्कृत छन्द एवं संगीत
20	Sociology	98	Techniques of Social Research- I (Research Problem Identification and Data Collection)
		99	Techniques of Social Research - II (Data Management, Analysis, and Presentation)
		100	Applied Anthropology- I (Know Your People: Understanding the Ethnic Diversity of Uttarakhand)
		101	Applied Anthropology -II (Tribal Skills: Challenges and Opportunities)
		102	Public Policy-I (Public Policy Formulation and Stakeholders)
		103	Public Policy-II (Public Policy Evaluation and Impact Assessment)
21	Yogic Science	104	Yoga and Wellness
		105	Introduction to Yoga & Naturopathy
		106	Introduction to Alternative Therapies
		107	Introduction to Ayurveda
		108	Yogic Management of Lifestyle related disorders
		109	Holistic Health Development

22	Zoology	110	Vermiculture – Theory
		111	Vermiculture - Practical
		112	Sericulture – Theory
		113	Sericulture - Practical
23	History	114	Art Appreciation: Art and Architecture in Ancient and Early Medieval India (From Earliest times to 1200 CE)
		115	Art Appreciation: Art and Architecture in Medieval and Modern India (From 1200 CE to 1950 CE)
		116	Cultural and Natural Heritage of Uttarakhand
		117	Heritage Tourism in India
24	Anthropology	118	Museum and Heritage Studies - I
		119	Museum and Heritage Studies – II
		120	Communication and Visual Anthropology
		121	Biostatistics and Computational Anthropology
25	Defence and Strategic Studies	122	Defence Studies Disaster Management (Part I)
		123	Defence Studies Disaster Management(Part II)
		124	Defence Studies Disaster Management (Part III)
		125	Defence Studies Disaster Management(Part IV)
26	Political Science	126	Introduction to Politics and Political Process
		127	Political Leadership
		128	Governance & Public Policy
		129	Introduction to the Indian Constitution
		130	Leadership in Democracy
		131	Political Training

TENTATIVE LIST OF VAC'S

S.N.	Title of Course
1	Ethics and Culture
2	Environment Studies and Value Education
3	Financial Literacy
4	पंचतन्त्र में वर्णित नीतिपरक शिक्षाएँ

शुल्क विवरण

1. शिक्षण शुल्क	– ––	परीक्षा शुल्क –	340.00(प्रति0सेमे0)
2. शिक्षण शुल्क(स्नातकोत्तर)–	180.00	पर्यावरण –	105.00
3. प्रवेश शुल्क –	3.00	वाचनालय शुल्क –	40.00
4. महंगाई शुल्क –	240.00	क्रीड़ा शुल्क –	300.00
5. विकास शुल्क –	20.00	महा0 परिषद शुल्क –	50.00
6. पुस्तकालय शुल्क –	3.00	पत्रिका शुल्क –	50.00
7. प्रयोगशाला शुल्क –	240.00	महा0 दिवस शुल्क –	20.00
		परिचय पत्र शुल्क –	25.00
		छात्र कल्याण श ुल्क –	10.00
		छात्र संघ शुल्क –	45.00
		विद्युत शुल्क –	60.00
		विविध –	100.00
		प्रांगण विकास –	20.00
		सांस्कृतिक कार्यक्रम –	45.00
		जनरेटर –	50.00
		प्रयोगात्मक परीक्षा(स्नातक) –	200.00
		प्रयोगात्मक परीक्षा(स्नातकोत्तर)–	200.00

रियायत–

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षण शुल्क की मुक्ति।

शुल्क राशियों से सम्बन्धित नियम

1. आवश्यक शुल्कादि जमा करने पर प्रवेशार्थी का नाम महाविद्यालय रजिस्टर में दर्ज हो जायेगा और उसे शुल्क रसीद व कक्षा में प्रवेश पत्र मिल जाएगा।
2. शुल्क की रसीद व कक्षा प्रवेश पत्र के आधार पर प्रवेशार्थी अपने चयनित विषय के रजिस्टर में अपना नाम व कक्षा प्रवेश पत्र लिखवाने के साथ–साथ पुस्तकालय कार्ड तथा परिचय पत्र भी बनवा सकेगा।
3. सभी छात्र–छात्राएँ नया परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। जिस छात्र–छात्राओं के परिचय पत्र खो गये हो अथवा नष्ट हो गये हो वह निर्धारित शुल्क जमा कर नये परिचय पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा
महाविद्यालय प्राध्यापक
शिक्षा सत्र 2025–26

प्राचार्य– डॉ0 पुष्पेश पाण्डेय	
कला संकाय	
हिन्दी विभाग 1. डॉ0 निर्मला जोशी, असि0 प्रो0 2. डॉ0 सुमिता गरकोटी, असि0 प्रो0 3. डॉ0 रेखा भट्ट, असि0 प्रो0 4. डॉ0 कुसुमलता, असि0 प्रो0	**भूगोल विभाग** 1. डॉ0 बी0 बी0 भट्ट, असि0 प्रो0 2. डॉ0 लक्ष्मी देवी, असि0 प्रो0 3. डॉ0 जे0 एस0 रावत, असि0 प्रो0
अंग्रेजी विभाग 1. डॉ0 निधि पाण्डेय, असि0 प्रो0 2. डॉ0 बरखा रौतेला, असि0 प्रो0 3. हिमानी नेगी, असि0 प्रो0	**इतिहास विभाग** 1. डॉ0 दीपा पाण्डे, असि0 प्रो0 2. डॉ0 महिराज मेहरा, असि0 प्रो0 3. डॉ0 पंकज प्रियदर्शी, असि0 प्रो0
अर्थशास्त्र विभाग 1. डॉ0 नमिता मिश्रा, असि0 प्रो0 2. डॉ0 पारूल भारद्वाज, असि0 प्रो0 3. डॉ0 संगीता कुमारी, असि0 प्रो0	**राजनीति विज्ञान विभाग** 1. डॉ0 बृजेश कुमार जोशी, असि0 प्रो0 2. डॉ0 पूजा, असि0 प्रो0 3. डॉ0 धीरज सिंह खाती, असि0 प्रो0
समाजशास्त्र विभाग 1. डॉ0 सत्यमित्र सिंह, असि0 प्रो0 2. डॉ0 नीमा बोरा, असि0 प्रो0 3. कमला देवी, असि0 प्रो0	**संगीत विभाग** 1. डॉ0 निर्मला जोशी, एसो0 प्रो0 2. डॉ0 मुकुल कुमार, असि0 प्रो0 3. डॉ0 किरन, असि0 प्रो0
संस्कृत विभाग 1. डॉ0 बबीता काण्डपाल, असि0 प्रो0	**गृह विज्ञान विभाग** 1. डॉ0 पारूल बोरा, असि0 प्रो0 2. नीतिका, असि0 प्रो0

विज्ञान संकाय

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ0 प्राची जोशी, असि0 प्रो0
2. डॉ0 कोमल गुप्ता, असि0 प्रो0
3. डॉ0 तनुजा तिवारी, असि0 प्रो0
4. आरती चौहान, असि0 प्रो0

जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ0 दीपा पाण्डे, असि0 प्रो0
2. डॉ0 प्रमोद जोशी, असि0 प्रो0
3. डॉ0 निहारिका सिंह बिष्ट, असि0 प्रो0
4. डॉ0 अपूर्वा जोशी, असि0 प्रो0,

भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ0 शीतल चौहान, असि0 प्रो0
2. डॉ0 किरन पन्त, असि0 प्रो0
3. श्रीमती आशा उप्रेती, असि0 प्रो0
4. डॉ0 स्तुति जोशी, असि0 प्रो0

रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ0 प्रसून जोशी, असि0 प्रो0
2. डॉ0 भारत पाण्डे, असि0 प्रो0
3. डॉ0 निधि शर्मा, असि0 प्रो0
4. डॉ0 गरिमा टम्टा, असि0 प्रो0
5. डॉ0 रश्मि रौतेला, असि0 प्रो0*

गणित विभाग

1. डॉ0 सी0 एस0 पन्त असि0 प्रो0
2. डॉ0 शंकर कुमार, असि0 प्रो0
3. डॉ0 मीना परगाई, असि0 प्रो0

वाणिज्य संकाय

1. डॉ0 पी0 एन0 तिवारी, प्रोफेसर
2. डॉ0 दीपाली कनवाल, असि0 प्रो0
3. डॉ0 राहुल चन्द्रा, असि0 प्रो0
4. डॉ0 निष्ठा शर्मा, असि0 प्रो0
5. डॉ0 आस्था अधिकारी, असि0 प्रो0

बी0 एड0 संकाय (स्ववित्त पोषित)

1. डॉ0 सुशील, असि0 प्रो0
2. डॉ0 प्रियंका जैन, असि0 प्रो0
3. डॉ0 प्रीति सिंह, असि0 प्रो0
4. डॉ0 रेखा उनियाल, असि0 प्रो0
5. डॉ0 मोहन चन्द्र आर्या, असि0 प्रो0, (अतिथि प्रवक्ता)

शारीरिक शिक्षा/क्रीड़ा

1. डॉ0 रूचि साह, असि0 प्रो0

* राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ से रानीखेत महाविद्यालय में सम्बद्ध

स्व0 श्री जय दत्त वैला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत, अल्मोड़ा

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कर्मचारी का नाम	पदनाम
श्री विजय पाल सिंह	मु0 प्र0 अधिकारी
श्री राजीव सिंह	प्रधान सहायक
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रवर सहायक
श्री अमित कुमार	वैयक्तिक सहायक
श्री शंकर सिंह कुवार्बी	लिपिक (उपनल)
श्री गोविन्द सिंह	अनुसेवक कार्यालय
श्री चन्दन सिंह	अनुसेवक भूगोल
श्री विक्रम सिंह	अनुसेवक कार्यालय
श्रीमती पुष्पा शर्मा	अनुसेवक जन्तु विज्ञान
श्री मोहित चौधरी	अनुसेवक (उपनल)
श्री दिनेश पवार	पर्यावरण मित्र (उपनल)
श्री ललित सिंह बोरा	अनुसेवक (उपनल)
श्री नवीन चन्द्र जोशी	अनुसेवक (उपनल)
श्री कैलाश चन्द्र	अनुसेवक (उपनल)
श्री अर्जुन सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री कृपाल सिंह नेगी	अनुसेवक (उपनल)
श्री योगेश्वर सिंह नेगी	विद्युत संचालक (उपनल)
श्री विरेन्द्र सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री मनोज सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री भानु प्रताप गोस्वामी	अनुसेवक (उपनल)
श्री कपिल सिंह	अनुसेवक (उपनल)
श्री ललित चन्द्र	माली (उपनल)
प्रयोगशाला कर्मचारी	
श्री अमित बिष्ट	प्रयो0 सहा0 भौतिक विज्ञान
श्री पूरन चन्द्र पाण्डे	प्रयो0 सहा0 वनस्पति विज्ञान
श्रीमती चंद्रावती	प्रयो0 सहा0 गृह विज्ञान
श्री नीरज कुमार	प्रयो0 सहा0 भूगोल
श्री विनोद चंद्र तिवारी	प्रयो0 सहा0 रसायन विज्ञान (उपनल)
कु0 रेखा	तबला संगतकर्ता (उपनल)
प्रयोगशाला कर्मचारी बी0 एड0 (स्ववित्त पोषित)	
कुंदन नगरकोटी	पुस्तकालय अध्यक्ष (संविदा)
नरेंद्र लाल	कार्यालय सहायक
लाल सिंह बिष्ट	सहायक तकनीशियन

COLLEGE CAMPUS

COLLEGE LIBRARY

SPORTS ACTIVITIES

N.C.C.

GPS Map Camera
Chiliyanaula, Uttarakhand, India
Mc58+22r, Chiliyanaula, Uttarakhand 263645, India
Lat 29.657438° Long 79.414615°
05/05/2025 11:04 AM GMT +05:30
Google

79 UK BN NCC, NAINITAL
24 U.K. GIRLS BN NCC

N.S.S.

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

Dept. of Political Science
एन. सी. सी.
NATION FIRST
24 UK (GIRLS) BN
G.P.G.C. RANIKHET